


—: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर :-

: : आदेश : :

यह है कि श्री रामलाल बबेरवाल, तत्का. प्रधानाध्यापक रामावि चौकड़ी, सीकर वर्तमान निलम्बित मुख्यालय कार्यालय हाजा जिनकी जन्मतिथि 24-04-1956 है को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीमकाथाना ने अपने निर्णय दिनांक 08-04-2015 द्वारा राजस्थान राज्य ब नाम रामलाल बबेरवाल पुत्र ग्यारसी लाल जाति माली निवासी नीमकाथाना सीकर में नम्बरी फौज0 संख्या 21/2013 में अपराध अन्तर्गत भा.दं.सं. 300 के अपवाद-4 में वर्णित " आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है " दण्डनीय अन्तर्गत भा.दं.सं. - 304 (1) के तहत दाण्डिक आरोप पर सिद्ध दोष किया गया है ।

और यत् यह विचार किया गया कि उक्त श्री रामलाल बबेरवाल, तत्का. प्रधानाध्यापक रामावि चौकड़ी, सीकर वर्तमान निलम्बित मुख्यालय कार्यालय हाजा का आचरण जिसके कारण उसको सिद्ध दोष किया गया है, ऐसा है जो उसे जनसेवा में बनाये रखने के लिए अवांछनीय है ।


अतः अब अद्योहस्ताक्षरकर्ता श्री रामलाल बबेरवाल, तत्का. प्रधानाध्यापक रामावि चौकड़ी, सीकर वर्तमान निलम्बित मुख्यालय कार्यालय हाजा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से पदच्युत (DISMISSED FROM SERVICE) किया जाता है ।


(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/विजां/11124/आर-217/13/76 दिनांक 25/4/16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक) संस्थापन ए-बी अनुभाग कार्यालय हाजा ।
2. उपनिदेशक (मा) जयपुर/चूरु ।
3. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ अनुभाग कार्यालय हाजा ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मा) द्वितीय, सीकर को उक्त आदेश संलग्न भेज कर निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रामलाल बबेरवाल, तत्का. प्रधानाध्यापक रामावि चौकड़ी, सीकर वर्तमान निलम्बित को सर्व करवाकर प्रमाणित पावती तत्काल भिजवावे ।
5. श्री रामलाल बबेरवाल, तत्का. प्रधानाध्यापक रामावि चौकड़ी, सीकर वर्तमान निलम्बित द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मा) द्वितीय, सीकर ।
6. रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर